

# पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की सीमा निर्धारित की

**राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा कि राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार**

-डॉ. सतीश मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अधूरे पूर्व कदम उठाते हुए, पहली बार यह निर्धारित कर दिया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गये विधेयकों पर, राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा। इस अवधि की गणना विधेयक की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।

शीर्ष अदालत ने संविधान में प्रतिपादित देश के संघीय ढाँचे के सिद्धान्तों को परिवर्तित किये जाने को रेखांकित किया तथा कहा, “हम यह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा पर अमल करना चाहिए सभी हैं। --- तथा यह तय करते हैं कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजे गये विधेयकों पर तीन महीने की अवधि में निर्णय ले लें। इस अवधि की गणना, इन विधेयकों की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।”

अदालत ने कहा, “इस अवधि से अधिक समय लाने की सिंहित में, समूचित कराण संबंधित राज्य को बताने होंगे। राज्यों के लिये यही यह जरूरी होगा कि वे उन प्रस्तावों के उत्तर दें। इस कार्य में पूरा सहयोग करें, जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीर्ष ही विचार करें।”

- अगर, तीन महीने में यह निर्णय नहीं होता है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस मामले पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाये और न्यायालय से समाधान मांगे।
- ये तीन महीने उस दिन से शुरू होंगे, जिस दिन राष्ट्रपति को, राज्य सरकार से विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार
- सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में, राज्यपाल को भी प्रतिबंधित किया है कि जब विधानसभा से पारित विधेयक उनके पास आता है, उस दिन से तीन महीने में राज्यपाल को विधेयक के बारे में निर्णय लेना होगा।
- अगर, दूसरी बार विधानसभा विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेजे तो राज्यपाल के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने में विलम्ब करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि उनके इस निर्णय की प्रतिलिपि सभी हाई कोर्ट को व राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को भेजें।

सरकार द्वारा उत्तर देये गये हैं तथा राज्य, अदालत ने साफ-साफ शब्दों में केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीर्ष ही विचार कराए।

आक्षित रूप से रख लेते हैं तथा राष्ट्रपति इसके बदले में अपनी सम्पत्ति एवं सहभागी रोक लेते हैं, तो राज्य के राज्यपाल इस प्रकार की कार्यवाही को अदालत की जानकारी में लाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

अदालत ने कहा, “जो विधेयक राज्यपाल के पास जरूरत से ज्ञाता समय तक लम्बित हों, तथा राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को आक्षित रखने में नेकानीयता के स्पष्ट अभाव से काम लिया है, जैसा कि इस अदालत की जानकारी में लाने के लिये स्वतंत्र होगा।”

अदालत ने यह आदेश कुछ अवधारणा से बाबूजूद याचिकाकार्ता को बकाया भुगतान कर्त्ता की विधेयक गुना की ओर से बढ़ावा देने की सुनीवाई करते हुए दिया।

■ हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये।

■ याचिकाकार्ता की विधिवाक्ता विधेयकों पर राज्यपाल की सम्पत्ति उसी तिथि को आ जानी चाहिए, जिस दिन वे विधेयक पुर्विचार के बाद, उनके विधेयकों पर राज्यपाल की बोधावाही को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो इन विधेयकों पर राज्यपाल की सम्पत्ति उसी तिथि को आ जानी चाहिए। अदालत ने राज्यपाल के दूल्हयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल द्वारा अपना कार्य सम्पत्ति करने के विधेयक दर्ज झटके महसूस किये गये हैं।” अदालत ने राज्यपाल के दूल्हयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के विचारार्थ, अपने पास ले ले तो उनके बाबूजूद, अनुच्छेद 200 का ऐसा अंतिम गृष्ठ पर प्र

अदालती आदेश के बाद भी बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ?

जयपुर, 12 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि अदालती आदेश के बाबूजूद याचिकाकार्ता को बकाया भुगतान कर्त्ता नहीं किया गया।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अदालती आदेश की पालना हो जाती है तो शिक्षा सचिव को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की फैलापी ने यह आदेश कृष्ण अवधारणा गुना की ओर से दायर याचिका पर सुनीवाई करते हुए दिया।

■ हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये।

■ याचिकाकार्ता की विधिवाक्ता विधेयकों पर राज्यपाल की सम्पत्ति उसी तिथि को आ जानी चाहिए, जिस दिन वे विधेयक पुर्विचार के बाद याचिकाकार्ता विधिवाक्ता के बाबूजूद याचिकाकार्ता की विधिवाक्ता विधेयकों पर राज्यपाल की बोधावाही को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो इन विधेयकों पर राज्यपाल की सम्पत्ति उसी तिथि को आ जानी चाहिए। अदालत ने यह आदेश कुछ अवधारणा से बाबूजूद 200 का दूल्हयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जिस दिन वे विधेयक दर्ज झटके महसूस किये गये हैं।” अदालत ने राज्यपाल के दूल्हयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो अब यह ज्ञानीयता के बाबूजूद फैल भी दे रही है। आज हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और जिले में दंगाई भीड़ उग्र रूप से तांडव कर रही है।”

■ आंशका जारी कर रही है कि बांगलादेश की सीमा से लगे इन जिलों में बांगलादेश के जेहादी संगठनों की सक्रिय भागीदारी है, जो माहौल बिगड़ने की आंशका जारी कर रहे हैं। इन घटनाओं ने मुख्यमंत्री भगवान की विधिवाक्ता विधेयकों पर राज्यपाल के दूल्हयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जिस दिन वे विधेयक दर्ज झटके महसूस किये गये हैं।” अदालत ने राज्यपाल के दूल्हयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो अब यह ज्ञानीयता के बाबूजूद फैल भी दे रही है। आज हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और जिले में दंगाई भीड़ उग्र रूप से तांडव कर रही है।”

■ आंशका जारी कर रही है कि बांगलादेश की सीमा से लगे इन जिलों में बांगलादेश के जेहादी संगठनों की सक्रिय भागीदारी है, जो माहौल बिगड़ने की आंशका जारी कर रहे हैं। इन घटनाओं ने मुख्यमंत्री भगवान की विधिवाक्ता विधेयकों पर राज्यपाल के दूल्हयोग पर जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की।

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो अब यह ज्ञानीयता के बाबूजूद फैल भी दे रही है। आज हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और जिले में दंगाई भीड़ उग्र रूप से तांडव कर रही है।”

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो अब यह ज्ञानीयता के बाबूजूद फैल भी दे रही है। आज हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और जिले में दंगाई भीड़ उग्र रूप से तांडव कर रही है।”

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो अब यह ज्ञानीयता के बाबूजूद फैल भी दे रही है। आज हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और जिले में दंगाई भीड़ उग्र रूप से तांडव कर रही है।”

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को तुरंत बाद पंजाब में हुआ, तो अब यह ज्ञानीयता के बाबूजूद फैल भी दे रही है। आज हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और जिले में दंगाई भीड़ उग्र रूप से तांडव कर रही है।”

■ बैंच ने अपने निर्णय में कहा, “जहां राज्यपाल किसी विधेयक को













